मानव-पशु संघर्ष

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** पर्यावरण संबद्ध मुद्दे

संदर्भ

हाल ही में, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने लोकसभा में मानव-पशु संघर्ष से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए।

Tigers

	2019	2020	2021
Humans killed by tigers	50	44	31
Tigers: natural deaths	44	20	4
Unnatural, not poaching	3	0	2
Tiger deaths under scrutiny	22	71	104
Poaching deaths	17	8	4
Seizure	10	7	13

Elephants

	2018-19	19-20	20-21
Humans killed by elephants	–	585	461
Elephants killed by trains...	19	14	12
... by electrocution	81	76	65
... by poaching	6	9	14
... by poisoning	9	0	2

533 Humans killed by elephants in 2021-22

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- 2018-19 और 2020-21 के मध्य देश भर में 222 हाथियों की मृत्यु बिजली के झटके से, 45 की ट्रेनों से दुर्घटनाग्रस्त होने, 29 के शिकारियों द्वारा शिकार किए जाने और 11 की विष दिये जाने के कारण मृत्यु हुई।
- 2019 और 2021 के बीच अवैध शिकार से 29 बाघों की मृत्यु हुई। वहीं 197 बाघों की मौत जांच के दायरे में है।
- जानवरों के साथ संघर्ष के मानव हताहतों में, हाथियों ने तीन वर्षों में 1,579 मनुष्यों को मार डाला। यह आंकड़ा 2019-20 में 585, 2020-21 में 461 और 2021-22 में 533 था। इन मौतों में सबसे ज्यादा 322 ओडिशा में हुई।

- बाघों ने 2019 और 2021 के बीच रिजर्व में 125 मनुष्यों को मार डाला। इनमें से लगभग आधी मौतें (61) महाराष्ट्र में हुईं।

मानव वन्यजीव-संघर्ष की परिभाषा

- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के अनुसार, मानव-वन्यजीव संघर्ष को मनुष्यों और वन्यजीवों के मध्य किसी भी ऐसे संबंध के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मानव सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन, वन्यजीव आबादी के संरक्षण या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण

- मनुष्यों के वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों के निकट आना।
- तेजी से बढ़ती मानव आबादी और उच्च जैव विविधता के साथ, लोगों और जंगली जानवरों के मध्य संघर्ष बढ़ रहा है।
- अन्य कारकों में वनों की कटाई के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवास स्थान का विनाश।
- वन उपज के अवैध संग्रह के लिए मनुष्यों की वनों की ओर आवाजाही।
- पशुधन द्वारा अत्यधिक चराई और मानव बस्तियों और कृषि का विस्तार।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों के विकास के कारण निवास स्थान का क्षरण आदि।

निष्कर्ष

- मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए योजना, कार्यान्वयन और रखरखाव में स्थानीय समुदाय के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।
- वन्यजीवों के संरक्षण और संरक्षण के लिए किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में कई वन्यजीव प्रजातियों जैसे बाघ, हाथी, एशियाई शेर, गैंडा आदि की आबादी में वृद्धि हुई है।"

स्रोत: द हिन्दू

मॉडल किरायेदारी कानून

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप

संदर्भ

- केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि मॉडल टेनेंसी एक्ट (एमटीए) के एक वर्ष से अधिक परिचालन के बाद भी केवल चार राज्यों ने अपने किरायेदारी कानूनों को एमटीए के अनुरूप संशोधित किया है।

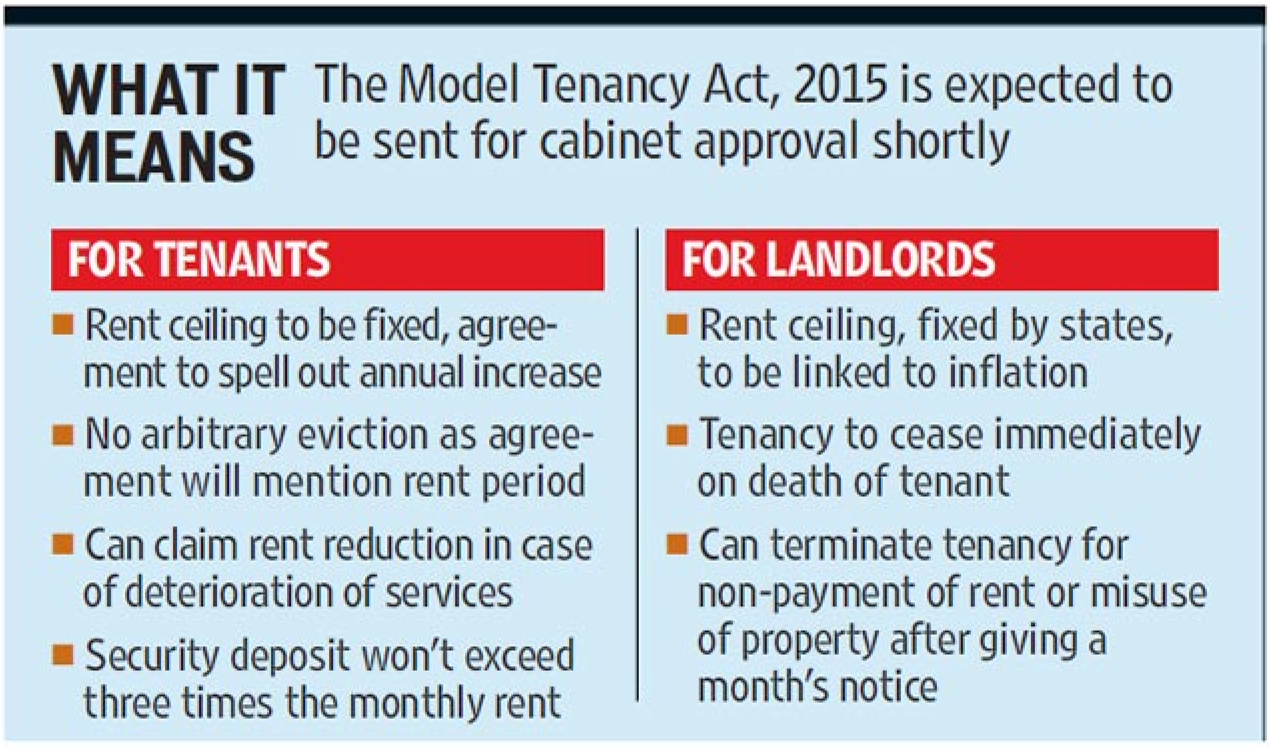

WHAT IT MEANS The Model Tenancy Act, 2015 is expected to be sent for cabinet approval shortly

FOR TENANTS
- Rent ceiling to be fixed, agreement to spell out annual increase
- No arbitrary eviction as agreement will mention rent period
- Can claim rent reduction in case of deterioration of services
- Security deposit won't exceed three times the monthly rent

FOR LANDLORDS
- Rent ceiling, fixed by states, to be linked to inflation
- Tenancy to cease immediately on death of tenant
- Can terminate tenancy for non-payment of rent or misuse of property after giving a month's notice

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम (MTA) की तर्ज पर किरायेदारी अधिनियमों को संशोधित किया है।

- मॉडल किरायेदारी अधिनियम का उद्देश्य किरायेदारों और जमींदारों के अधिकारों को संतुलित करना और "अनुशासित और कुशल तरीके से परिसर को किराए पर देने के लिए एक जवाबदेह और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना" है।

मॉडल टेनेंसी एक्ट (एमटीए)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 02 जून 2021 को मॉडल टेनेंसी एक्ट (एमटीए) पर स्वीकृति प्रदान की थी।
- विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 02 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 'मॉडल किरायेदारी अधिनियम' के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
- इसके तहत प्रावधान है कि राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश नए कानून बनाकर मॉडल किरायेदारी अधिनियम को अपना सकते हैं या अपने मौजूदा किराये कानूनों में उपयुक्त संशोधन कर सकते हैं।
- यह वर्तमान किरायेदारी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है। किराया और अवधि का निर्धारण मालिक व किरायेदार की आपसी सहमति से होगा।

उद्देश्य

- मॉडल टेनेंसी एक्ट (एमटीए) का उद्देश्य सभी प्रकार के किरायेदारों और जमींदारों के अधिकारों को संतुलित करना है।
- यह अनुशासित और कुशल तरीके से परिसर को किराए पर देने के लिए एक जवाबदेह और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

मॉडल कानून की मुख्य विशेषताएं

- यह मौजूदा किरायेदारी को प्रभावित नहीं करता है।
- सभी नए किराएदारों के लिए लिखित समझौता अनिवार्य है। अनुबंध संबंधित जिला 'किराया प्राधिकरण' को प्रस्तुत करना होगा।
- कानून मकान मालिक और किरायेदारों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में भी उल्लेख करता है।
- कोई भी मकान मालिक या संपत्ति प्रबंधक किरायेदार के कब्जे वाले परिसर में किसी भी आवश्यक आपूर्ति को रोक नहीं सकता है।

- यदि किरायेदारी का नवीनीकरण नहीं किया गया है, तो किरायेदारी को महीने-दर-महीने आधार पर उन्हीं नियमों और शर्तों के आधार पर नवीनीकृत किया जाना माना जाएगा, जो कि समाप्त हो चुके किरायेदारी समझौते में था।
- सहमत किरायेदारी अवधि के छह महीने की विस्तारित अवधि की समाप्ति या आदेश या नोटिस द्वारा किरायेदारी की समाप्ति पर, किरायेदार डिफ़ॉल्ट रूप से एक किरायेदार होगा और मासिक किराए के दोगुने मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह दो महीने के लिए और उसके बाद मासिक किराए का चार गुना का प्रावधान करता है।
- एक जमींदार या संपत्ति प्रबंधक प्रवेश के समय से कम से कम चौबीस घंटे पहले किरायेदार को दी गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखित नोटिस या नोटिस के अनुसार एक परिसर में प्रवेश कर सकता है।

निहितार्थ

- यह दीवानी अदालतों पर बोझ को कम करने, कानूनी विवादों में फंसी किराये की संपत्तियों के प्रभावी निपटान और किरायेदारों और जमींदारों के हितों को संतुलित करके भविष्य की समस्याओं के निदान में सहयोगी की भूमिका में कार्य करेगा।

स्रोत: द हिन्दू

गिरफ्तारियों और जमानत आदेशों पर नवीनतम दिशा-निर्देश

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप

संदर्भ

- हाल ही में, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 और 41 ए के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए गिरफ्तारी संबद्ध नए दिशा-निर्देश निर्धारित किए।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- ये दिशा-निर्देश पहले वाले दिशानिर्देशों के अतिरिक्त हैं, जिन्हें शीर्ष अदालत ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के मामले में पहले ही निर्धारित कर दिया था।
- कोर्ट ने मौजूदा मामले में जमानत से संबंधित कानून पर अलग से अधिनियम बनाने पर भी बल दिया है और इस संबंध में विशेष निर्देश भी जारी किए हैं।
- 16 जुलाई को, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने भी "जल्दबाजी और अंधाधुंध गिरफ्तारी" के खिलाफ आगाह किया था।
- उन्होंने जमानत में विलंबता और विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर टिप्पणी की।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41ए क्या हैं?

- संहिता की धारा 41 उन परिस्थितियों के संदर्भ में प्रावधान करती है, जिनमें पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है और प्रत्येक गिरफ्तारी और गैर-गिरफ्तारी के लिए कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य है।
- संहिता की धारा 41ए संहिता द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों में गिरफ्तारी करने से पहले जांच एजेंसियों द्वारा नोटिस भेजे जाने की आवश्यकता का प्रावधान करती है।
- न्यायालय ने मामले में उल्लिखित किया कि एजेंसियों की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही को अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए और उसके बाद उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- पीठ ने कहा कि अदालतों को धारा 41 और 41ए के अनुपालन पर स्वयं को संतुष्ट करना होगा और कोई भी गैर-अनुपालन आरोपी को जमानत देने का अधिकार होगा।

जमानत के संबंध में दिशा-निर्देश

- जमानत के संबंध में, न्यायालय ने एक आज्ञाकारिता के रूप में एक विशिष्ट अवलोकन किया है कि भारत सरकार जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम की शुरूआत पर विचार कर सकती है, ताकि जमानत ग्रांट को सुव्यवस्थित किया जा सके।
- नए दिशा-निर्देशों के हिस्से के रूप में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर बल देने की आवश्यकता नहीं है।

- कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जनादेश का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है (सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य , 2021)।
- न्यायालय ने एक स्पष्ट निर्देश दिया कि जमानत आवेदनों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यदि प्रावधान अनिवार्य हैं।
- अपवाद एक हस्तक्षेप करने वाला आवेदन है।
- अदालत ने यह भी कहा कि "अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को किसी भी हस्तक्षेप करने वाले आवेदन के अपवाद के साथ छह सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

विचाराधीन कैदियों के विषय में टिप्पणी

- उच्च न्यायालयों को शीर्ष अदालत ने उन विचाराधीन कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया है, जो जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद उनकी रिहाई को सुविधाजनक बनाने के लिए संहिता की धारा 440 के आलोक में उचित कार्रवाई करनी होगी।
- धारा 440 के तहत बांड की राशि अधिक नहीं होगी और उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि को कम कर सकते हैं।
- इसी प्रकार संहिता की धारा 436ए के आदेश का पालन करने के लिए एक अभ्यास करना होगा, जिसके तहत जांच या मुकदमे के दौरान कैद व्यक्ति को उस अपराध के लिए निर्धारित जेल अवधि की आधी अवधि पूरी होने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

स्रोत: द हिंदू

बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** पर्यावरण संबद्ध मुद्दे

संदर्भ

हाल ही में, असम राज्य के बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- इसे वन्यजीव (सरंक्षण) अधिनियम की धारा-35 में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्रों को मिलाकर स्थापित किया जाना है।
- असम की बराक घाटी कई पक्षियों और स्तनपायी प्रजातियों का निवास स्थान है और शीघ्र ही यहां दूसरा वन्यजीव अभयारण्य स्थपित किया गया जाएगा।
- विदित है कि बराक घाटी में पहले से ही बोरैल वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है।
- बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य बराक नदी और सोनाई नदी के बीच करीब 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होगा।
- इस क्षेत्र में बंदरों की आठ प्रजातियां है, जिनमें स्लो लोरिस, रीसस मकाउ, पिग टेल्ड मकाउ, स्टंप टेल्ड मकाउ, असमी मकाउ, कैप्ड लंगूर आदि प्रमुख हैं।
- कछार वन प्रभाग के अनुसार, यह किंग कोबरा का प्रमुख निवास स्थान है।
- इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव गत वर्ष रखा गया था।

बराक घाटी

- पूर्वोत्तर की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम पर बराक घाटी का नाम पड़ा है, जिसमें पक्षियों की 550 प्रजातियों और 100 स्तनपायी जीवों की प्रजातियों का निवास है।
- बराक घाटी में असम के तीन जिले कछार, हैलाकांडी और करीमगंज आते हैं।

स्रोत: द हिन्दू